

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोबा

पत्र संख्या-36-सीएफओ-अ0सु0/पेट्रोल पम्प/2020

दिनांक: जुलाई, 14, 2021

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी(शस्त्र)

कृते जिला मजिस्ट्रेट महोबा।

विषय:- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम भटीपुरा तहसील महोबा जिला महोबा स्थित खसरा संख्या -814 पर एमएस/एचएसडी न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया, अपने पत्र संख्या:-2913/श0लि0-बीस-रिटेल आउटलेट /2021 दिनांक-14.06.2021 का संदर्भ गृहण करने की कृपा करें, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम-भटीपुरा तहसील महोबा जिला महोबा स्थित खसरा संख्या -814 पर एमएस/एचएसडी न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि संलग्नक मानचित्र एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा द्वारा अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया आख्या बिन्दुवार निम्नवत है-

विवरण-

- 1.पहुंच मार्ग प्रस्तावित स्थल कबरई से छतरपुर रोड न्यू एनएच-34 पर 10 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है जिस पर अग्निशमन के छोटे एवं बड़े वाहन आसानी से पहुंच सकते हैं।
- 2.प्रस्तावित स्थल के आवागमन मार्ग के ऊपर से किसी प्रकार की बिद्युत हाइटेन्शन लाइन मौजूद नहीं है।
- 3.प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल प्रभावित नहीं होते हैं।
- 4.प्रस्तावित स्थल पर मानचित्र के अनुरूप 03 अदद टैंक कमशः, 20KL MS, व 20 KL HSD के 02 अदद टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रस्तावित-अग्निशमन-व्यवस्था/शर्तें एवं सुझाव-

- 1.प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण बिद्युत व्यवस्था आईएस0-2148-1686 एवं आईएस0-5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा बिद्युत वायरिंग में MCB व ELCB का प्राविधान किया जाय।
- 2.बिद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में बिद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
- 3.प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग वैन्ट पाइप का प्राविधान किया जाय जो आपस में जुड़े नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक वैन्ट पाइप की ऊंचाई 04 मीटर होना चाहिए और उसके 04 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
- 4.वैन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 और ओआईएस0डी0-225 के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- 5.टैंक, लारी/टैंकर से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग बान्डिंग होना अति आवश्यक है।
- 6.लाईसेन्सी क्षेत्र में सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
- 7.प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट पर इमरजेन्सी स्टाफ बटन होना चाहिए।
- 8.पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ओआईएस0डी0-225 के अनुसार वांछनीय।
- 9.प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट के पास 02 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 केजी रखे जायं तथा 01 अदद फोम ट्राली क्षमता 50 लीटर व 01 अदद AFFF फोम फायर एक्सटिंग्यूशर 10 केजी स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।
- 10.जनरेटर रूम के पास 02 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 केजी रखे जायं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
महोबा

पुनीत प्रमिट / PUNEET PRMIT
टेरिटरी मैनेजर (रिटेल) / TERRITORY MANAGER (RETAIL)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
भोपाल कॉलेजी रोड, NH-19, कानपुर-209305
Bhargaji Kalpi Road, NH-19, Kanpur-209305

26/4/22

11. प्रस्तावित स्थल पर 02 अदद फायर जेल ब्लैकट रखा जाना आवश्यक है।
12. 02 सैण्ड बकेट सैट प्रति यूनिट तथा 100 घनफुट बालू रखना आवश्यक होगा।
13. नो स्मोकिंग, इमरजेन्सी नम्बर वाला साइन बोर्ड स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।
14. लव्रीकेन्ट स्टोर में अलग से 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 केजी व सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 केजी व टाली माउण्टेड 01 अदद रखना अति आवश्यक है।
15. सड़क निर्देशों एवं मानचित्र पर अंकित सुरक्षा बिन्दुओं को संयोजित करते हुए समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. पेट्रोल पम्प पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायगा जिसकी ऊंचाई 06 फिट से कम न हो तथा कम से कम 04 घण्टे उसकी फायर हीटिंग की क्षमता हो।
17. विस्फोटक अधिनियम एवं पेट्रोलियम नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. भण्डारण प्रांगण में काग्रत सभी कर्मचारियों को पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, प्रतिक्रियाओं तथा उनके गुण दोषों की जानकारी के साथ-साथ अग्निशमन उपकरणों के संचालन व रख-रखाव की जानकारी होना आवश्यक है।
19. परिसर में 20,000 लीटर के अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक का प्राविधान किया जाय तथा समरसेबुल पम्पको जनरेटर से जोड़ा जाय एवं हाईड्रैन्ट के द्वारा मुख्य निकास द्वार पर 63 एमएम कपलिंग के साथ व्यवस्थापित किया जाय।
20. किसी भी दशा में ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण वर्जित है।
21. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड।
22. पुलिस स्टेशन, अग्निशमन, तथा उच्चाधिकारियों के टेलीफोन नम्बरों की पट्टिका लगी होना चाहिए।

अतः भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम-भटीपुरा तहसील महोबा जिला महोबा स्थित खसरा संख्या -814 पर एमएस/एचएसडी न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना में समस्त निर्माण कार्य सम्बन्धित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए कराये जायें एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त न्यू रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने पूर्व अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। शर्तें एवं सुझाव का अक्षरशः पालन करने की शर्त पर आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

पुनीत दीक्षित / PUNEET DIXIT
 टैरिटोरी मैनेजर (रिटेल) / TERRITORY MANAGER (RETAIL)
 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
 भीम कीर्ति रोड, NH-19, कानपुर-209305
 Bhaunsi Kalpi Road, NH-19, Kanpur-209305

26/4/22
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 महोबा